न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/119

01. जेठू पुत्र बिरदा निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
02. धीरा पुत्र छीतर निवासी डोडवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
03. प्रधानसिंह पुत्र स्व. श्योनारायण निवासी डोडावाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. कैलाशचन्द पुत्र रामस्वरूप निवासी रिणगी तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
02. गजान्नद पुत्र रामस्वरूप निवासी रिणगी तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
03. हरिराम पुत्र चन्द्रा निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
04. धन्ना पुत्र चन्द्र निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
05. रामनाथ पुत्र चन्द्रा निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
06. रामस्वरूप पुत्र माना निवासी रिणगी तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
07. सोहनलाल पुत्र रामस्वरूप निवासी रिणगी तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

08. मानाराम पुत्र छीतर निवासी डोडवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
09. रूपा पुत्र छीतर निवासी डोडवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
10. श्योनारायण पुत्र छीतर **(फौत)**
    - 10/1. जेठीदेवी पत्नी श्योमनारायण निवासी डोडवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    - 10/2. नोरत पुत्र श्योनारायण निवासी डोडवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    - 10/3. रघुनाथ पुत्र श्योनारायण निवासी डोडवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
11. सुवा पुत्र मेवा निवासी डोडवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
12. प्रधानाध्यापक राजकीय राजीव गॉधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला डोडवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
13. तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर।
14. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोरसीना पंचायत समिति सांभर(प्रशासक) जिला जयपुर।
15. किरा रियल एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. 1 गोकुल अपार्टमेन्ट प्रा.लि. ई 3 ए कान्तिचन्द्र रोड़ बनीपार्क जयपुर जरिये डायरेक्टर अमन गुप्ता पुत्र सत्यनारायण निवासी चाणक्यपुरी बनीपार्क जयपुर।
16. रूपा पुत्र गोरधन निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
17. गोरधन पुत्र श्रवण निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

18. चैना पुत्र श्रवण निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
19. छोटू पुत्र लादू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
20. छोटू पुत्र रघुनाथ निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
21. झमरी पुत्री श्रवण पत्नी सोहन लाल निवासी कोच्या की ढाणी (देवनगर) पोस्ट बरडोती तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान।
22. देवकरण पुत्र लादू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
23. घापू पुत्र छोटू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
24. नन्दाराम पुत्र लादू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
25. नाथीदेवी पुत्री रघुनाथ पत्नी शैतान निवासी रिणगी तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
26. धन्ना पुत्र नारू नि निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
27. बोदू पुत्र सूरजकरण **(फौत दिनांक 08.09.2023)**
    - 27/1. तीजा देवी पत्नी बोदू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    - 27/2. जगदीश पुत्र बोदू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    - 27/3. कानाराम पुत्र बोदू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    - 27/4. हीरादेवी पुत्री बोदू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    - 27/5. मायादेवी पुत्री पुत्र बोदू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    - 27/6. मन्जूदेवी पुत्री बोदू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    - 27/7. सीमादेवी पुत्री पुत्र बोदू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
    - 27/8. सरोजदेवी पुत्री पुत्र बोदू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
28. श्योदान पुत्र मंगलाराम निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
29. मांगू पुत्र मंगलाराम निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
30. प्रेम पुत्री मंगला निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
31. रामदेव पुत्र श्रवण निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
32. बजरंग पुत्र रोडूराम निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
33. लालाराम पुत्र रघुनाथ निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
34. शैतान पुत्र रघुनाथ निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
35. छोटू पुत्र रघुनाथ निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
36 सोनी पुत्र रघुनाथ निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
37. नाथी पुत्री रघुनाथ निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

38. लाली पुत्र श्रवण पत्नी शैतान निवासी काल्या तहसील फुलेरा जिला जयपर।
39. शैतान पुत्र रघुनाथ निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
40 श्रवणी पत्नी श्रवण निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
41. सबलाराम पुत्र लादू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
42. सोनी पुत्री रघुनाथ पत्नी मेवाराम निवासी नोसा वाया रूपनगढ जिला जयपुर।
43. हनुमान पुत्र लादू निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
44. श्रृद्धा वाटिका बिल्डर एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जी–1 गोकूल अपाटमेन्ट ई–3 ए कान्तिचन्द्र रोड़ बनीपार्क जयपुर जरिये डायरेक्टर अमन गुप्ता पुत्र सत्यनारायण जाति महाजन वासी चाणक्यपुरी बनीपार्क जयपुर।
45. प्रेमकंवर पत्नी छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
46. रामकरण पुत्र चन्द्रा निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
47. रामलाल पुत्र चन्द्र निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
48. सुवालाल पुत्र चन्द्रा निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
49. गोपाल पुत्र चन्द्र निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
50. मांगीलाल पुत्र बन्ना निवासी डोडवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
51. सुवादेवी पत्नी श्योजी जाति गुर्जर निवासी सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला जयपुर।

——प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री तेजाराम भवरिया एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5 से 7, 47 से 50 की ओर से

दिनांकः 25.07.2024

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2024 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश किया जिसका अप्रार्थी/अपीलार्थी ने जवाब मय अतिरिक्त कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 ने अपना प्रार्थना पत्र वापिस लिया है। उक्त प्रार्थना पत्र को चलाना नही चाहते है। मृतक हरिनारायण के वारिसान का अभी तक राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही हुआ है। आज भी हरिनारायण का नाम खातेदारी में दर्ज है, मृत व्यक्ति के वारिसान को रिकार्ड में नाम आना आवश्यक है इसके बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नही है। प्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 हरिनारयण के वारिस नही है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी कोई विवाद उत्पन्न नही किया बल्कि वादी संख्या 1 व 2 व 7 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। दिनांक 26.12.2019 को सीमाज्ञान बिना जानकारी के किया गया था पडौसी खातेदारों को सूचना नही दी गई। करीब 50 पडौसी खातेदार है। उन्हे बिना सूचित किये मिलीभगत से सीमाज्ञान किया गया था जो विधि सम्मत नही है। मौके पर पडौसी खातेदार मौजूद नही थे। पंचायत के खिलाफ वाद पेश करने से पूर्व विधिक नोटिस नही दिया है। इसलिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना आवश्यक है। दिनांक 26.12.2019 को सीमाज्ञान हुआ उसमें भी अप्रार्थी संख्या 1 की साथी खातेदारों उपस्थित नही थी, हल्का पटवारी व गिरदावर ने सभी पडौसी खातेदारों को सूचना भी नही दी तथा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट विवरण अंकित नही किया गया तथा नाप चौक का विवरण भी नही दिया गया। ऐसी अस्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढ़ी नही की जा सकती है। अन्त में जवाब में यह अनुतोष चाहा गया कि तहसीलदार की उपस्थिति में टीम गठित कर सभी पडौसी काश्तकारों को सूचित कर सीमाज्ञान रिपोर्ट में स्पष्ट विवरण तैयार करने के पश्चात् पक्षकारों के द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि तथा प्रार्थी संख्या 1 व 2 व 7 की जमीन की पत्थरगढी की जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 26.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हाल अपीलार्थी संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किर कथन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5 श्योनारायण व अप्रार्थी संख्या 22 बोदू की मृत्यु हो गई है जिसकी प्रार्थीगण कैलाशचन्द वगैरह को पूर्ण जानकारी है फिर भी उनके द्वारा मृतक श्येनारायण व बोदू के कायम मुकामान का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है और ना ही तलबी करवायी जा रही है तथा न्यायालय से इन तथ्यों को छिपाया जा रहा है। उक्त प्रकरण में मृतकों के वारिसान व उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में कामय मुकामान का प्रार्थना पेश किये बिना उक्त प्रकरण में आगे की कार्यवाही को रोका जाना आवश्यक है। यदि मृतकों के वारिसान को रिकार्ड पर नही लिया जाता है तो उक्त प्रकरण का सही रूप से निस्तारण नही हो पायेंगा। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 व 22 के कायम मुकामान के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. पर नियम दिनांक 26.03.2024 को ही बहस उभयपक्ष की सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 02.04.2024 को वास्ते आदेश हेतु नियत की गई थी। दिनांक 02.04.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. पर निर्णय पारित नही कर और बिना बहस सुनी ही पत्थरगढी प्रार्थना पत्र का निर्णय पारित करके प्रार्थीगण का पत्थरगढी प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है जो आदेश न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में मृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में यथासमय अवगत करा दिया गया था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2024 मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है, जो विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत होने पर प्रार्थी संख्या 4 व 5 क्रमशः धन्ना पुत्र चन्दा व रामनाथ पुत्र चन्दा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया था कि वह उक्त प्रार्थना पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है तथा ना ही पूर्व में उन्हे उक्त प्रार्थना पत्र की जानकारी कभी रही है तथा धोखे से हमारे हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो हमारी तरफ से खारिज किया जावें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नही कर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हाल अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 11 की भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.06.2019 एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 75 व 76 की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.12.2019 विरोधाभासी थी जिस विरोधाभासी रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए पत्थरगढी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अहम कानूनी भूल कारित की गई है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2024 का निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5 से 7, 47 से 50 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि में अपीलार्थीगण आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न करते रहते है तथा रेस्पोडेन्ट की लगी पुरानी डोल को तोड़कर सीमा पर अतिक्रमण करने को उतारू रहते है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान हेतु एक आवेदन जिला कलक्टर जयपुर को दिनांक 12.12.2019 को प्रस्तुत किया था जिस पर उन्होने तहसीलदार फुलेरा को नियमानुसार सीमाज्ञान करने के आदेश दिये गये थे जिस पर दिनांक 26.12.2019 को तहसीलदार के आदेशानुसार गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुऐ सीमाज्ञान करवाया एवं मौके पर उपस्थित पड़ौसी खातेदारों ने उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट हो रहे है। उक्त सीमाज्ञान के बाद भी अपीलार्थीगण आये दिन रेस्पोडेन्ट की

खातेदारी की भूमि की डोल मेड़ तोड़ने की धमकी देते रहते थे तथा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 75 की उत्तरी मेड़ पर अतिक्रमण करने को प्रयासरत रहते है। इसलिये रेस्पोडेन्ट की उक्त खसरा नम्बर 75 व 76 की खातेदारी की भूमि का नाप चौंक कर चारों सीमाओं पर सीमा चिन्ह कायम किये जाने आवश्यक होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5 से 7, 47 से 50 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की की भूमि खसरा नम्बर 75 व 76 की चारों तरफ की सींव जोड़ के पड़ौसियों के खातेदारों को पक्षकार मुकदमा रेस्पोडेन्ट बनाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देने एवं प्रकरण का पूर्ण रूप से विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2024 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण की खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है प्रथमतः वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 धन्नाराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 रामनाथ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्रस्तुत नही किया गया है तथा कैलाश व सोहन ने गफलत में हस्ताक्षर करवा लिये है और वे प्रार्थना पत्र नही चलाना चाहते है साथ ही अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने भी उक्त तथ्यों से अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय को वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या अप्रार्थी संख्या 5 श्योनारायण व अप्रार्थी संख्या 22 बोदू की मृत्यु होने के तथ्यों से भी अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी को बिना निर्णित किये ही रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र धारा 128 को स्वीकार करते हुऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2024 पारित किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया व विधिक प्रावधानों के विपरित होने से न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भूमि खाली होने पर एवं नक्शों में मिलान होने की स्थिति में ही दिनांक 12.08.2024 को उभयपक्ष की मौजूदगी में मुस्तकिल बिन्दु से पुनः सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ0आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।